

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 91/2015

संस्थित दिनांक-04/12/2013

फाईलिंग नंबर-2303030127712013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. जितेन्द्र गुर्जर पुत्र रामजी गुर्जर आयु 19 साल
निवासी ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड
2. कृपाल गुर्जर उर्फ पप्पू पुत्र जबर सिंह गुर्जर आयु 22 साल
निवासी ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड
3. जितेन्द्र बाढई पुत्र श्रीनिवास बाढई आयु 21 साल
निवासी ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री केशवसिंह गुर्जर अधिवक्ता।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 26 अगस्त 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण जितेन्द्र गुर्जर, कृपाल गुर्जर उर्फ पप्पू तथा जितेन्द्र बाढई के विरुद्ध धारा 394, 34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है, कि उन्होंने दिनांक 12/08/2013 को दिन के 01:00 बजे इटायली गेट के पास कस्बा गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में डकैती की तैयारी की एवं डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होकर तीनों आरोपियों ने फरियादी आशीष पाण्डेय को उपहति कारित कर, उससे सैमसंग कंपनी के मोबाइल की लूट कारित की।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि घटना दिनांक 12/08/2013 को दिन के 01:00 बजे इटायली गेट के पास कस्बा गोहद जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91/07/81 बी-21 दिनांक

19/05/1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। प्रकरण में यह भी स्वीकृत है कि तीनों आरोपीगण एक ही गांव के हैं।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है, कि दि०-12/08/13 को फरियादी आशीष पाण्डेय ने अपने पिता के साथ थाना गोहद पर उपस्थित होकर इस आशय की लिखित सूचना दी, कि उसकी दुकान इटायली गेट के अंदर है। दिनांक 10/08/12 को जितेन्द्र बाढई उसकी दुकान पर आया और उससे एक मोबाइल फ्री में देने को कहा, जब उसने मोबाइल देने से मना किया तो, जितेन्द्र ने उससे कहा कि सोमवार को आऊंगा और वह सोमवार को दो-तीन लडकों को लेकर उसकी दुकान में घुस आया। उस समय फरियादी अपनी दुकान की कैबिन में काम कर रहा था, तभी जितेन्द्र ने कहा कि मोबाइल उसे चाहिए, फरियादी ने मना किया तो उसने कहा, कि तू हमको नहीं जानता यह कृपाल गुर्जर और जितेन्द्र गुर्जर है, मोबाइल तो तुझे देना ही पड़ेगा और उसकी मारपीट शुरू कर दी, जितेन्द्र गुर्जर ने उसे मुक्का मारा जो उसकी नाक में लगा। कृपाल गुर्जर ने उसका मोबाइल छीन लिया तथा तीनों ने उसकी मारपीट की, तीनों ग्राम आलौरी के निवासी हैं। तब उसने पुलिस को फोन करना चाहा तो उसका फोन छुड़ा लिया, जो फोन सैमसंग कंपनी का था, जिसमें दो सिम डली थीं, जिनका नंबर 9826977605 व 7415135303 था, एवं जिसकी कीमत 2400/- रुपये थी।

4. उक्त लिखित सूचना पर से थाना गोहद में अपराध क्रमांक 131/13 धारा-394, 34 भा०द०वि० सहपठित धारा-11, 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, मुद्दा माल मोबाइल सैमसंग कंपनी का कीमत 2400/- रुपये जब्त कर, प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण पर अपराध पाये जाने से मामले में चालान नं० 184/13 कायम किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

5. अभियोग पत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 394, 34 भा०द०वि० सहपठित धारा-11, 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उनकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 12/08/13 को दिन के करीब 1:00 बजे इटायली गेट के पास कस्बा गोहद के डकैती प्रभावित क्षेत्र में आपस में मिलकर फरियादी आशीष पाण्डेय को लूट सहित उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
 2. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना, दिनांक, समय व स्थान पर निर्मित सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए फरियादी आशीष पाण्डेय के आधिपत्य से सैमसंग कंपनी के मोबाइल की लूट कारित कर उसे उपहतियां कारित की ?

-::निष्कर्ष के आधार :-

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में से विचाराधीन आरोपियों के संबंध में सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी आशीष पाण्डेय (अ0सा0-8) तथा कथानक मुताबिक घटना के चक्षुदर्शी साक्षी निशांत शर्मा (अ0सा0-4), अरविन्द्र पाण्डेय (अ0सा0-5) और रिकू दुबे (अ0सा0-7) हैं। ऐसे में उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य का सर्वप्रथम विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालना उचित व न्याय संगत होगा, क्योंकि उक्त अपराध फरियादी आशीष पाण्डेय की लेखीय शिकायत प्र0पी0-8 पर आधारित है। जिसमें विचाराधीन आरोपीगण को नामजद किया गया है।
9. फरियादी आशीष पाण्डेय (अ0सा0-8) ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को पहचानने से इन्कार करते हुए, इस आशय की साक्ष्य दी है, कि इटायली गेट के पास गोहद में उसकी मोबाइल की दुकान करीब 5 वर्ष पहले से है। घटना वह (दिनांक 30/06/16 को कथन देते समय) तीन वर्ष पूर्व की बताते हुए यह कहता है, कि वह अपनी दुकान पर बैठा था, तब एक लडका मोबाइल सुधरवाने के लिए आया, जिस पर उसने मोबाइल दो दिन में ठीक होना कहा, तो उस लडके ने कहा कि तब तक उस एक मोबाइल वह दे दे, जिस पर उसने मोबाइल खरीदने को कहा, तो आये हुए लडके ने बिना पैसे के मोबाइल देने को कहा, उसके द्वारा मना करने पर वह दूसरे दिन दो अन्य लडकों को साथ लेकर उसकी दुकान पर आया और उसने फ्री में मोबाइल की मांग की, मना करने पर तीनों लडकों ने उसकी लात धूसों से मारपीट की और उसका स्वयं का पुराना इस्तेमाली मोबाइल छीनकर भाग गये। घटना के समय उसकी दुकान पर दो अन्य ग्राहक भी थे, जिनके नाम वह नहीं जानता है। घटना की

रिपोर्ट करने के लिए वह थाना गोहद गया था। थाने पर पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी थी और उससे यह कहा था, कि वह उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और आजकल नगर में जो लोग लूटपाट कर रहे हैं, उनके नाम उन्हें पता है फिर एक पुलिस वाले ने एक कागज पर रिपोर्ट लेख कर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी ने वह कागज प्र0पी0-8 बताते हुए उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं और यह कहा है, कि पुलिस ने उसकी चोटों का मेडीकल कराया था तथा उसी दिन दो-तीन अन्य कागजों पर भी उसके हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी ने प्र0पी0-9 की एफ0आई0आर0 प्र0पी0-10 के नक्शा मौका पर अपने हस्ताक्षर बताते हुए यह भी कहा है, कि पुलिस ने उससे लूटे गये मोबाइल की पहचान कराई थी और उसने अपना मोबाइल पहचान लिया था, जिसका शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0-12 है।

10. अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपियों को पहचानने से इन्कार किया है जिस बिन्दु पर अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी बताते हुए सूचक प्रश्नों के पूछने की अनुमति प्राप्त कर सूचक प्रश्न पूछे, किंतु उसमें भी विचाराधीन आरोपियों के द्वारा घटना कारित किये जाने से उसने इन्कार करते हुए, इस बात से भी इन्कार किया है, कि दिनांक 10/08/13 को उसकी दुकान पर आरोपी जितेन्द्र बाढई फ्री में मोबाइल लेने आया था और मना करने पर धमकी दे कर चला गया था। इस बात से भी इन्कार किया है, कि फिर सोमवार को वह अन्य दो लडकों के साथ उसकी दुकान में घुस आया और कैबिन में काम करते समय उससे फ्री में मोबाइल की मांग की, मना करने पर उसकी तीन लडकों ने मारपीट की जो जितेन्द्र बाढई के अलावा कृपालसिंह गुर्जर और जितेन्द्र सिंह गुर्जर थे, जो उसका मोबाइल छीनकर मारपीट कर ले गये थे। इस बात से भी इन्कार किया है, कि जिन लडकों ने उसके साथ घटना की थी, उन्हें वह पहले से जानता था, जो ग्राम आरौली के रहने वाले आरोपीगण ही थे। इस बात से भी उसने इन्कार किया है, कि घटना के समय दुकान पर निशांत और रिकू मौजूद थे। घटना दोपहर 01:00 बजे की होना अवश्य उसने स्वीकार किया है, किंतु उसने पुलिस को प्र0पी0-11 के ए से ए भाग का कथन देने से इन्कार किया है और प्र0पी0-08 के आवेदनपत्र को उसके द्वारा लिखे जाने से इन्कार कर पुलिस वालों द्वारा लिखा जाना बताते हुए यह भी कहा है, कि उसने प्र0पी0-08 के आवेदन पत्र को पढकर नहीं देखा था, न ही उसे पढकर सुनाया गया था। शिनाख्तगी पंचनाम प्र0पी0-11 में वह थाना गोहद में हस्ताक्षर करना बताता है।

11. इस प्रकार से फरियादी आशीष पाण्डेय (अ0सा0-8) के द्वारा प्र0पी0-08 में बतायी गयी घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया गया है। उसने केवल इस बात की पुष्टि की है, कि उसकी इटायली गेट के अन्दर गोहद में मोबाइल की दुकान है और उसकी दुकान पर

तीन लडकों ने आकर मुफ्त में मोबाइल मांगा, मना करने पर दुकान में घुसकर उसकी मारपीट कर मोबाइल छीन कर ले गये, किंतु इतना कारित करने वाले कौन थे, इस बारे में वह अनभिज्ञता जाहिर करता है। जबकि प्र0पी0-08 के लेखीय आवेदन पत्र में दिनांक 10/08/13 को आरोपी जितेन्द्र बाढई का दुकान पर आकर फ्री में मोबाइल मांगना, मना करने पर दो दिन बाद अन्य दो-तीन लडकों के साथ मिलकर दुकान में घुसकर मारपीट करते हुए, उसका इस्तेमाली मोबाइल जो सैमसंग कंपनी का दो सिम वाला था, जिसमें सिम क्रमांक 9826977605 एवं 7415135303 डली होना बताया गया है, जिसे लूटा गया था। घटना के निशांत शर्मा व रिकू दुबे चक्षुदर्शी साक्षी भी बताये गये हैं। जबकि फरियादी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दो ग्राहकों की दुकान पर उपस्थिति बताता है, किंतु उनके नाम उसे मालूम नहीं है। इस तरह से अ0सा0-8 की अभिसाक्ष्य से इस बात की पुष्टि तो होती है, कि उसके साथ तीन व्यक्तियों ने उसके मोबाइल की दुकान में घुसकर मारपीट करते हुए फरियादी का इस्तेमाली मोबाइल लूटा था, किंतु लूट करने वाले विचाराधीन आरोपीगण ही थे, ऐसा उसके अभिसाक्ष्य में कोई भी तथ्य नहीं आया है। प्र0पी0-08 की लेखीय शिकायत में जो लिखावट है तथा ए से ए भाग के जो हस्ताक्षर हैं, उनमें भिन्नता है, जिससे इस बात को बल मिलता है, कि प्र0पी0-08 का आवेदनपत्र फरियादी के द्वारा नहीं लिखा गया है, किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है। प्र0पी0-08 के आवेदन पत्र के आधार पर प्र0पी0-09 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध करने वाले प्रधान आरक्षक रामअवतार सिंह को अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके संबंध में घटना के विवेचक उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा (अ0सा0-11) द्वारा यह पैरा-03 में कहा गया है, कि प्रधान आरक्षक क्रमांक 961 रामअवतारसिंह जो अन्य जिले में पदस्थ है, उसके अधीन कार्यरत रहा है, इसलिए उसकी हस्तलिपि और हस्ताक्षर को वह पहचानता है। प्र0पी0-09 की एफ0आई0आर0 रामअवतार सिंह के द्वारा लिखी गयी थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. प्र0पी0-09 में घटना प्र0पी0-08 मुताबिक दौहराई गयी है। इसलिए प्रधान आरक्षक रामअवतार सिंह का कथन न होने का तो कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु प्र0पी0-08 फरियादी आशीष पाण्डेय की हस्तलिपि में होना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि प्र0पी0-08 के ए से ए भाग पर जो हस्ताक्षर हैं, उसमें 'पाण्डेय' के रूप में किये गये हैं और आवेदनपत्र में 'पाण्डे' लिखा गया है तथा दोनों की लिखावट भी अलग-अलग खुली आंखों से देखने पर स्पष्ट हो रही है। इसलिए प्र0पी0-08 की लेखीय रिपोर्ट फरियादी आशीष पाण्डेय द्वारा लेखबद्ध न होना प्रकट होता है। इसलिए उसका, आरोपीगण के नाम का उल्लेख, कथानक के बारे में संदेह उत्पन्न करता है, जो इस आधार पर भी बल रखता है, कि कोई भी दुकानदार प्रत्येक ग्राहक को पूर्व से जानता हो, ऐसा संभव नहीं है।

और कथानक में ऐसा कोई विवरण भी नहीं है, जिससे आरोपीगण के आपस में वर्तालाप करने के दौरान उनके नामों की जानकारी फरियादी को होना प्रकट होती हो। ऐसी स्थिति में प्र0पी0-08 का वृत्तांत अ0सा0-08 के अभिसाक्ष्य से विचाराधीन आरोपीगण के संदर्भ में कतई प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए उसके आधार पर प्र0पी0-09 की एफ0आई0आर0 को भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता, जो कि विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध की गयी थी।

13. जहां तक घटना के चक्षुदर्शी साक्षी का प्रश्न है, निशांत शर्मा अ0सा0-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात की पुष्टि तो की है, कि फरियादी आशीष पाण्डेय की मोबाइल की दुकान है, जिसे वह जानता है और उसने ऐसा भी सुना था, कि आशीष पाण्डेय की दुकान पर तीन लडकों ने आकर आशीष की मारपीट की और उसका सैमसंग कंपनी का मोबाइल लूट कर ले गये, जो इटायली गेट गोहद पर स्थित है, किंतु उसने इस बात से इन्कार है, कि घटना के समय वह फरियादी आशीष पाण्डेय की दुकान पर मौजूद था और उसने घटना देखी है। उसने प्र0पी0-03 का कथन पुलिस को देने से इन्कार करते हुए पैरा-03 में यह स्पष्ट रूप से बताया है, कि विचाराधीन आरोपीगण ने उसके सामने कभी कोई लूट की घटना कारित नहीं की है। रिकू दुबे अ0सा0-07 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने भी अ0सा0-04 की तरह ही अभिसाक्ष्य देते हुए पुलिस को प्र0पी0-07 का कथन देने से इन्कार किया है और यहां तक बताया है, कि आरोपीगण के बारे में उसने न तो ऐसा सुना है, न देखा है, कि उन्होंने घटना कारित की थी।

14. इस प्रकार से प्र0पी0-08 की लेखीय शिकायत में बताये गये दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है और इस तरह से फरियादी व दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों के पक्ष विरोधी हो जाने और विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य न दिये जाने से अभियोजन के कथानक के बारे में संदेह उत्पन्न होता है और यह देखना होगा कि क्या अन्य उपलब्ध साक्ष्य से विचाराधीन आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होते हैं या नहीं।

15. प्रकरण में फरियादी आशीष पाण्डेय के पिता अरविन्द्र पाण्डेय को भी अ0सा0-05 के रूप में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने अभिसाक्ष्य में अनुश्रुत साक्षी (Hearsay witness) के रूप में इस आशय की साक्ष्य दी है, कि घटना के समय वह घर पर था, उसके पुत्र आशीष पाण्डेय ने दुकान पर बुलाकर उसे बताया था, कि तीन लडकों ने दुकान पर आकर उसकी मारपीट की और मोबाइल फोन लूट कर ले गये और कुछ नहीं

बताया था। इस बात से उक्त साक्षी ने भी इन्कार किया है, कि उसके पुत्र फरियादी आशीष पाण्डेय ने दुकान में लूट करने वालों में जितेन्द्र बाढई, जितेन्द्र गुर्जर और कृपाल गुर्जर के नाम उसे घटना कारित करने वालों के रूप में बताये थे और उसी आधार पर पुलिस को प्र0पी0-04 का कथन, ए से ए भाग में लिखाने से उसने इन्कार किया है, बल्कि यह कहा है कि उसके लडके ने आरोपीगण के नाम उसे नहीं बताये थे। इस प्रकार से उक्त अनुश्रुत साक्षी के द्वारा भी विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध कोई लूट की घटना मारपीट सहित कारित किये जाने के संबंध में स्पष्टीकारक साक्ष्य नहीं आयी है। प्रकरण में आरोपीगण के अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार होने पर उनसे की गयी पूछताछ के आधार पर लेखबद्ध, धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-01 व 06 जो आरोपी जितेन्द्र बाढई और कृपाल गुर्जर के लिये गये थे, तथा कृपाल से हुई मोबाइल फोन की जब्ती, शिनाख्तगी कार्यवाही के आधार पर भी अभियोजित किया गया है। इसलिए अन्य साक्ष्यों के आधार पर सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हुए, यह निष्कर्षित करना आपेक्षित हो जाता है, कि क्या अन्य उपलब्ध साक्ष्य से विचाराधीन आरोप अभियोजन प्रमाणित करने में सफल होता है अथवा नहीं ?

16. अन्य परीक्षित साक्षियों में आरोपी जितेन्द्र बाढई के अनुसंधान स्तर पर लेना बताये गये मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-01 के संबंध में आरक्षक अहिवरन सिंह (अ0सा0-03) एवं प्रधान आरक्षक महेश (अ0सा0-01) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 14/08/13 को जब वे थाना गोहद में पदस्थ थे, तब दरोगा जी एस0के0 शर्मा ने आरोपी जितेन्द्र बाढई से पूछताछ की थी और प्र0पी0-01 का मेमोरेण्डम कथन भी लिया था। जिसमें मोबाइल आरोपी कृपालसिंह के घर पर होना बताया गया था, जो पूछताछ आरोपी जितेन्द्र बाढई से हवालात से निकाल कर थाने पर दिन के करीब 11:40 बजे किया जाना अ0सा0-01 बताता है और अ0सा0-03 के मुताबिक कृपालसिंह का पता भी आरोपी जितेन्द्र बाढई ने बताया था, जिसका समर्थन प्र0पी0-01 की कार्यवाही करने वाले उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा (अ0सा0-11) ने अपने अभिसाक्ष्य में भी किया है। अ0सा0-01 का यह भी कहना है, कि मेमोरेण्डम के समय आम जनता का कोई व्यक्ति था या नहीं यह भी ध्यान नहीं है।

17. घटना की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा (अ0सा0-11) ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-01 की कार्यवाही के अलावा यह भी बताया है, कि उसने विवेचना प्राप्त होने पर फरियादी आशीष पाण्डेय की निशांदेही पर प्र0पी0-10 का नक्शा बनाया था। साक्षी से उसके बताये अनुसार कथन लिये थे। विवेचना उसे दिनांक 12/08/13 को प्राप्त हुई थी, दिनांक 14/08/13 को उसने आरोपी जितेन्द्र बाढई को गिरफ्तार कर प्र0पी0-13 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था और पूछताछ करके उसका मेमोरेण्डम कथन

लिया था। जिसमें उसने कृपाल गुर्जर व जितेन्द्र गुर्जर के साथ मिलकर आशीष पाण्डेय की दुकान पर लूट करने की बात बतायी थी, किंतु उक्त कथन धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि अभियोजन कहानी मुताबिक घटना प्र0पी0-08 की लेखीय शिकायत पर आधारित है, जिसमें नामजद रिपोर्ट की गयी है। इसलिए उक्त तथ्य किसी तथ्य की डिस्कवरी के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्र0पी0-01 के मेमोरेण्डम कथन का विधिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसमें केवल यह तथ्य की मोबाइल कृपाल गुर्जर के पास है, जिसके घर का पता ठिकाना उसे मालूम है, जो वह चलकर बता देता है, इतना ही भाग धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत ग्राह्य योग्य है, किंतु यह तथ्य कि मोबाइल कृपाल गुर्जर ने छुड़ाया था या लूटा था यह ग्राह्य योग्य नहीं है।

18. उक्त प्र0पी0-01 की जानकारी के आधार पर बरामदगी हुई या नहीं यह भी और देखना होगा, कथानक मुताबिक आरोपी कृपाल के आधिपत्य से उसके घर की टांड, अल्मारी से आरोपी कृपाल द्वारा मोबाइल उठाकर पेश किये जाने पर जब्त किया जाना बताया गया है। प्र0पी0-02 के जब्तीपत्र का पंचसाक्षी मुन्ना खटीक (अ0सा0-2) एवं प्रधान आरक्षक तहसीलदारसिंह (अ0सा0-10) है। मुन्ना खटीक (अ0सा0-02) ने प्र0पी0-02 मुताबिक बताया जब्ती का समर्थन नहीं किया है। उसने प्र0पी0-02 पर केवल हस्ताक्षर ए से ए भाग पर पुलिस के कहने से कर देना बताते हुए, दस्तावेज पुलिस द्वारा पढकर सुनाये व समझाये जाने से इन्कार किया है। इस प्रकार से अ0सा0-02 का प्र0पी0-02 के संबंध में समर्थन नहीं है। प्र0पी0-02 की कार्यवाही भी उपनिरीक्षक एस0के0 शर्मा (अ0सा0-11) के द्वारा की जाना बताया गयी है। जिसका समर्थन तत्कालीन प्रधान आरक्षक तहसीलदार सिंह (अ0सा0-10) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में किया गया है, किंतु जब्ती के संबंध में अ0सा0-10 का यह कहना रहा है, कि थाना गोहद से ग्राम आलौरी जहां आरोपी कृपाल गुर्जर का घर है, वह 12-14 किलोमीटर है, वे सरकारी वाहन से गये थे। कृपाल गुर्जर घर पर ही मिला था, इसलिए घर के दरवाजे पर ही एस0आई0 एस0के0 शर्मा ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, 6 पुलिस कर्मी साथ में गये थे, आरोपी चबूतरे पर बैठा मिला था, किंतु मेमोरेण्डम के समय आरोपी कृपाल ने मोबाइल का रंग बताया था या नहीं यह उसे याद नहीं है। दरोगा जी और साक्षी मुन्ना खटीक आरोपी के घर के अंदर गये थे, शेष पुलिस बल बाहर खड़ा रहा था। मुन्ना खटीक के संबंध में यह भी कहा है, कि वह रक्षा समिति का सदस्य है, जो पुलिस के अन्य मामलों में भी गवाह बनता है। कार्यवाही के समय आस-पड़ोस के लोग नहीं आये थे, मुन्ना खटीक ने इसका समर्थन नहीं किया है।

19. प्र0पी0-2 की कार्यवाही के संबंध में एस0आई0 शिवकुमार शर्मा (अ0सा0-11) के अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि वह कृपाल

गुर्जर के घर सुबह करीब 07:00 बजे पहुंच गया था, जो घर के आगे ही मिल गया था, वहीं उसे पकड़ लिया गया था, गांव में ही उसके मेमोरेण्डम कथन लिये थे, वह आरोपी के घर के अंदर गया था, घर की टांड से मोबाइल दिया था, उसी के आधार पर जब्ती हुई थी। जब्ती में मोबाइल सैमसंग कंपनी का काले रंग का जब्त हुआ था। प्र0पी0-06 में मोबाइल के रंग का उल्लेख नहीं है। जब्तीपत्र प्र0पी-02 में उल्लेख करना वह बताता है। आरोपी कृपाल के घर जाने और कार्यवाही करने के संबंध में अभिलेख पर कोई रोजनामचा सान्हा पेश नहीं किया गया है, जिसकी स्वीकारोक्ति विवेचक अ0सा0-11 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में की है। रोजनामचा लिखा गया था, या नहीं इसके संबंध में भी उक्त विवेचक का कोई स्पष्टीकरण साक्ष्य में नहीं आया है, न ही उसके द्वारा यह बताया गया है, कि रोजनामचा सान्हा पर प्रविष्टि करके कार्यवाही के लिए गये, और वापिस आये। ऐसे में बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है, कि पुलिस ने पुरानी रिपोर्ट के आधार पर थाने पर बैठकर दस्तावेजों की रचना कर ली है।

20. प्रकरण में जब्त बताये गये मोबाइल के संबंध में हुई अन्य कार्यवाही के संबंध में भी विचार किये जाने की आवश्यकता है। फरियादी आशीष पाण्डेय (अ0सा0-08) ने मोबाइल की पहचान की कार्यवाही पुलिस द्वारा कराई जाना बतायी, जबकि कथानक मुताबिक मोबाइल की पहचान की कार्यवाही विनोद यादव के द्वारा की जाना बतायी गयी है, जो कि तत्समय वार्ड नंबर-13 नगर पालिका परिषद गोहद का पार्षद था। उक्त विनोद यादव को अभियोजन की ओर से अ0सा0-09 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 27/09/13 को भी वह पार्षद था और उसे थाने बुलाया गया था, थाने पर बुलाकर प्र0पी0-12 के शिनाख्तगी पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। पुलिस फरियादी को साथ लिये थी। पुलिस ने ही प्र0पी0-12 तैयार किया था और यह कहा था, कि मोबाइल की पहचान कराना है। फरियादी ने मोबाइल पहचान लिया था और उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। हायर सेकेण्ड्री स्कूल में प्र0पी0-12 की कार्यवाही होने से उसने इन्कार किया है। इस बात से भी इन्कार किया है, कि पहचान के समय 15-20 मिलते-जुलते मोबाइल रखे गये थे। प्र0पी0-12 का अवलोकन किया जाये तो उसमें पहचान की कार्यवाही हायर सेकेण्ड्री गोहद में होने का उल्लेख किया गया है, 15-20 मिलते-जुलते मोबाइल सम्मिलित किया जाना अंकित किया गया है। उस समय फरियादी आशीष पाण्डेय के द्वारा अपने मोबाइल की पहचान की गयी थी, जिससे अ0सा0-09 ने स्पष्ट इन्कार किया है। जिस प्रकार की साक्ष्य अ0सा0-8 व अ0सा0-09 की आयी है, उससे शिनाख्तगी कार्यवाही दूषित है, थाने पर ही पुलिस की उपस्थिति में औपचारिक रूप से प्र0पी0-12 की औपचारिक लिखा पढी की जाना परिलक्षित होता है, यह भी अभियोजन के लिए घातक है और इससे

भी की गयी कार्यवाही के बारे में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि अ0सा0-09 का भी प्र0पी0-12 के संबंध में अभियोजन अनुरूप समर्थन प्राप्त नहीं है।

21. एस0 के0 शर्मा (अ0सा0-11) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी जितेन्द्र गुर्जर को भी प्र0पी0-14 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक दिनांक 14/08/13 को दिन के करीब 12:00 बजे थाना गोहद पर गिरफ्तार करना बताया गया है। उसी दिन आरोपी जितेन्द्र बाढई को दिन के 11:00 बजे बस स्टेण्ड गोहद से गिरफ्तार करना प्र0पी0-13 मुताबिक बताया गया है, उसी दिन आरोपी जितेन्द्र गुर्जर के मकान की तलाशी लेते हुए प्र0पी0-15 का तलाशी पंचनामा तैयार किया जाना बताया है। जितेन्द्र बाढई के मकान की तलाशी लेना भी कहा है। कृपाल गुर्जर की गिरफ्तारी वह दिनांक 21/11/13 को प्र0पी0-5 मुताबिक ग्राम आलौरी में करना बताता है। जहां उसका प्र0पी0-6 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया था और प्र0पी0-02 मुताबिक मोबाइल की जब्ती की गयी थी, किंतु उसकी कार्यवाही को आम जनता के साक्ष्य का समर्थन नहीं है। पुलिस कर्मों कौन-कौन साथ गये थे, यह स्वयं अ0सा0-11 को भी याद नहीं है। कोई रोजनामचा सान्हा खानगी वापिसी का पेश न होने से उक्त कार्यवाही के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है और जो मोबाइल प्र0पी0-2 के मुताबिक जब्त किया गया वह फरियादी आशीष पाण्डेय के स्वामित्व का था, इस बारे में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। प्र0पी0-02 के जब्तीपत्र में न तो मोबाइल का आई0एम0ई0आई0 नंबर का उल्लेख है, न ही कोई उसका बिल या कैशमेमो विवेचना में संकलित किया गया है। केवल इतना उल्लेख पर्याप्त नहीं है, कि मोबाइल सैमसंग कंपनी का और काले रंग का था, कौन सी सीरिज का था, इसका उल्लेख भी होना चाहिए था, जिसके अभाव में जब्ती की कार्यवाही यह सुनिश्चित नहीं करती है, कि जब्त मोबाइल ही फरियादी का था जिससे आरोपी उसकी अभिरक्षा के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दे। केवल काले रंग का सैमसंग कंपनी का मोबाइल किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। जब तब उसका आई0एम0ई0आई0 नंबर स्पष्ट न हो, तब तक उसके स्वामित्व का निर्धारण नहीं हो सकता है और साक्ष्य के दौरान कोई मोबाइल अभियोजन की ओर से प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। न्याय दृष्टांत कालेबाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2008 (4) एम0पी0एच0टी0 पैज-397 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि जब आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन कहानी उसका महत्व खो देती है और आरोपी दोषमुक्ति का हकदार होता है।

22. इस प्रकार से उपनिरीक्षक शिवकुमार शर्मा (अ0सा0-11) ने अपने अभिसाक्ष्य में जो कार्यवाही करना बताया है, जिसका विधि अनुरूप समर्थन घटना के मुख्य तथ्यों के संबंध में नहीं है, इसलिए

उसकी कार्यवाही औपचारिक स्वरूप की हो जाती है और उसके आधार पर यह कतई प्रमाणित नहीं होता, कि जिस मोबाइल की लूट फरियादी आशीष पाण्डेय से होना बतायी गयी है, वह मोबाइल आरोपीगण या उनमें से किसी के द्वारा लूटा गया, या जो मोबाइल आरोपी कृपाल गुर्जर से बरामद होना बताया गया है, वही आशीष पाण्डेय का था। इसलिए अ0सा0-11 के अभिसाक्ष्य के आधार पर विरचित आरोप में दोषसिद्धि संभव नहीं है और उसकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पायी जाती है।

23. तहसीलदार सिंह (अ0सा0-10) ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी कृपाल गुर्जर की प्र0पी0-05 मुताबिक की गयी गिरफ्तारी, प्र0पी0-06 मेमोरेण्डम कथन और प्र0पी0-02 जब्तीपत्र के संबंध में पंचसाक्षी की हैसियत से समर्थन करना बताया है। प्र0पी0-05 एवं 06 की गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम की कार्यवाही का समर्थन आरक्षक अजय (अ0सा0-06) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में करना बताया है, किंतु प्र0पी0-05, 06 एवं प्र0पी0-02 के संबंध में विवेचक एस0आई0 एस0के0 शर्मा (अ0सा0-11) की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पायी गयी है और वास्तव में आरोपी कृपाल गुर्जर को उसके घर जाकर मिलने पर पकड़ा गया, पूछताछ की गयी और जब्ती की गयी, इस संबंध में रोजनामचा सान्हा रवानगी, वापिसी का पेश न किया जाना भी अभियोजन के मामले को संदिग्ध बनाता है, क्योंकि मूल घटना के संबंध में फरियादी आशीष पाण्डेय का ही आरोपीगण के विरुद्ध अभिसाक्ष्य नहीं आया है। इसलिए पुलिस साक्षियों के द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी अभिसाक्ष्य के आधार पर घटना संदेह के परे प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है।

24. इस प्रकार से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर दोनों विचाराधीन बिन्दु आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं हुए हैं। जिससे युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है, कि उन्होंने ही दिनांक 12/08/13 को दिन के करीब 01:00 बजे इटायली गेट के पास कस्बा गोहद में फरियादी आशीष पाण्डेय की मारपीट सहित लूट करने का आपस में मिलकर कोई सामान्य आशय निर्मित किया और उसे अग्रसर करते हुए उसकी मारपीट करते हुए उसका इस्तेमाली सैमसंग कंपनी का कोई मोबाइल लूटा।

25. फलतः आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए धारा-394, 34 भा0द0वि0 एवं सहपठित धारा 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

26. आरोपी जितेन्द्र बाढई, जितेन्द्र गुर्जर एवं कृपाल गुर्जर के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं और जब्तशुदा मोबाइल पर किसी के द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया है, इसलिए उसे विधिवत राजसात किया जाता है, उसे नीलामी द्वारा विक्रय कर उसकी राशि उपकोषालय गोहद में जमा की जावे।

27. आरोपीगण को धारा-428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण दौरान न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि बावत् प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

28. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 26 अगस्त 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश डकैती,
गोहद जिला भिण्ड